



फर्द अहकाम
20/05/18
बनाम शा. फ. बा. शा. का
रुही (म)
17/20/4
प्रा. फ. प्र. ग. न.

आज्ञा विस्तृत रूप से

25410 ककुलप 30 गत महीने
की पालना में दिनांक 22/05/18
को धेरे थे तब तक पूर्व आदेशों
पुनर्की रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

22/05/18

~~शा. फ. बा. शा. का~~
~~रुही~~
~~रा. फ. प्र. ग. न.~~
~~न. फ. प्र. ग. न.~~

प्रकृता राजस्व लोक अदालत
में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारों
को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली
पर उपसब्ध दस्तावेजों, विधि के
सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन
किया गया। माननीय राजस्व अपील
प्राधिकारी ने निर्णय दिनांक 30/11/10
द्वारा रेगुलेशन सं. 1 लजा. 5 हस्तगत
प्राथमिक पत्र के अप्रार्थी सं. 4 लजा. 5
को राजस्व वाद के निर्णय तक अपीलार्थी
के कठगत दाखल में अवलोकन करने
के राजस्व रिवाज की चर्चा-विचार के
आदेश दिए हैं तथा न्यायालय धना
के निर्णय दिनांक 29-07-2009 को
निरस्त किया है। अतः हस्तगत
प्राथमिक पत्र को स्वीकार किया जाकर
अप्रार्थीगणों को ताकत प्राप्त होगी।

सिद्धेश्वर
सि. प्र.
नाम पं. का. न. बनाकर अधिवक्ता
पं. सं. विराटनगर (जयपुर)



फर्द अहकाम

राजेश कुमार बनाम श्री राम चन्दापूर

उपखण्ड अधिकारी

विशटनगर (जयपुर)

17/8/14

श्रीगवाल अहील

प्रांशु (श्रीगवाल)



सत्यमेव जयते

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

कॉप अस्थाती निषेधाज्ञा से पाकट
क्रिया जाता है कि जगद ललिपारा
के ख.नं. 1872, 1873 के मौके
की यथास्थिति बनाये रखें, किसी
प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण
नहीं करें, राजस्व रिहाई की यथा-
स्थिति बनाये रखें।



[Signature]
22/07/14

पीठासीन अधिकारी

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विशटनगर (जयपुर)